



मध्य प्रदेश शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय,  
वल्लभ भवन, भोपाल- 462 004

क्रमांक एफ ए 3-21/2021/1/पांच

भोपाल, दिनांक /12/2021

प्रति,

नियंत्रक,  
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,  
मध्यप्रदेश, अरेरा हिल्स,  
भोपाल।

विषय:- मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिसूचना क्रमांक एफ 3-14/2010/1/पांच (68) दिनांक 16.08.2010 को अधिक्रमित कर नवीन अधिसूचना जारी किए जाने के संबंध में।

---

उपरोक्त विषयक प्रकरण में विभाग द्वारा प्रस्तावित अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-21/2021/1/पांच (91) दिनांक 27.12.2021 के अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रारूप की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) अंक दिनांक 27.12.2021 में करने का कष्ट करें। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में किए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई, जो कि मूलतः संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(अनुभाग अधिकारी)  
वाणिज्यिक कर विभाग

पृ. क्रमांक एफ ए 3-21/2021/1/पांच

भोपाल, दिनांक 27/12/2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय इन्दौर की ओर एकल नस्ती जावक क्रमांक 196 दिनांक 21.12.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल संभाग-एक भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि किसी तकनीकी अधिकारी को नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में भेजकर प्रूफरिडिंग कराने का कष्ट करें।

(अनुभाग अधिकारी)  
वाणिज्यिक कर विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक २२ /12/2021

क्रमांक एफ ए 3-21/2021/1/पांच(91) : मध्य प्रदेश वृत्तिकर नियम, 1995 (क्रमांक 16, सन् 1995) के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-14-2010-1-पांच(68) दिनांक 16.08.2010 को अधिक्रमित करते हुए, एतद्वारा यह उपबंध करती है कि मध्य प्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन नियोक्ता द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा यथास्थिति, प्ररूप 1 या प्ररूप 3 में, इलेक्ट्रानिक रीति में, विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल ([www.mptax.mp.gov.in](http://www.mptax.mp.gov.in)) के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत करेगा।

2. नियोक्ता या व्यक्ति द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन मध्य प्रदेश वृत्तिकर नियम, 1995 के नियम 3-क के अंतर्गत केवल इलेक्ट्रानिक रीति से प्रस्तुत किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(दीपाली रस्तोगी)  
प्रमुख सचिव  
मध्य प्रदेश शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय,  
वल्लभ भवन, भोपाल- 462 004

क्रमांक एफ ए 3-21/2021/1/पांच

भोपाल, दिनांक २३/१२/२०२१

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-21/2021/1/पांच (91), दिनांक २३ दिसम्बर, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(दीपाली रस्तोगी)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्यिक कर विभाग

**Government of Madhya Pradesh**  
**Commercial Tax Department**  
**Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal**


**Notification**

Bhopal, date २७ /12/2021

No. F A 3-21/2021/1/V(91) : In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Madhya Pradesh Profession Tax Rules, 1995 and in supersession of this department's notification No. F-A-3-14-2010-1-V(68), dated 16 August, 2010, the State Government, hereby, provides that an application for grant of registration certificate under section 8 of the Madhya Pradesh Profession Tax Act, 1995 (No. 16 of 1995) shall be furnished by an employer or a person electronically in Form 1 or Form 3, as the case may be, through the official web portal of the department ([www.mptax.mp.gov.in](http://www.mptax.mp.gov.in)) in accordance with the instructions given in the web portal.

2. The application for certificate of registration by an employer or person shall mandatorily be filed electronically only under rule 3-A of the Madhya Pradesh Profession Tax Rules, 1995.

By order and in the name of  
Governor of Madhya Pradesh

  
(Dipali Rastogi)  
Principal Secretary  
Govt. of Madhya Pradesh  
Commercial Tax Department